बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्र संख्या-427, जिला योजना कार्यालय दिनांक-23.6.2018 के द्वारा BSDC गिद्धौर, KYP code 05020012 के जून बैच के Final Invoice से 50% की राशि कटौती करने की अनुशंसा की गयी, जबकि SDC, गिद्धौर, KYP code 05020020 का एकरारनामा रद्द करने की अनुशंसा की गयी । जिला पदाधिकारी, जमुई के द्वारा इस पत्र के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा District Skills Manager, जमुई तथा सहायक प्रबंधक,(कुशल युवा कार्यक्रम) जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र जमुई के माध्यम से 11 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कराया गया, जिसमें 8 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कमी पाये जाने के कारण स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी । इन 8 केन्द्रों में से 6 केन्द्रों का स्पष्टीकरण संतोषप्रद पाये जाने के आधार पर इसे स्वीकृत किया गया, जबकि 2 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र BSDC, गिद्धौर, KYP code 05020012 तथा SDC, गिद्धौर, KYP code 05020020 के द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं किये जाने के कारण इनपर कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है । उनके द्वारा BSDC, गिद्धौर के माह जून बैच के Final Invoice से 50% की राशि कटौती करने की अनुशंसा की गयी, जबकि SDC, गिद्धौर, KYP code 05020020 के पंजीकरण को रद्द करने की अनुशंसा की गयी ।

जिला पदाधिकारी, जमुई के द्वारा BSDC गिद्धौर के संबंध में निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये-

1. Grievance Box not available,
2. Internet not available in all client systems,
3. Flex, Banner not available, जबकि SDC,गिद्धौर KYP code 05020020 के संबंध में प्रतिवेदित आरोपों की विवरणी निम्नवत है :-

1. Notice Board not available,
2. Grievance Box not available,
3. Internet not available in all client system,
4. Projector was not available in the class room & LED TV is not working since last 40 days.

जिला पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या-BSDM/SDM-18/2017(खण्ड-1)-1456 दिनांक-17.9.2018 के द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी Social Action for Rural Development तथा शिक्षा से BSDC, गिद्धौर, KYP code 05020012 तथा SDC, गिद्धौर, KYP code 05020020 के प्रतिवेदित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इस स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को कोई स्मार पत्र नहीं दिया जायेगा तथा इनकी संस्था के विरूद्ध नियमानुकूल आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में Social Action for Rural Development के द्वारा BSDC, गिद्धौर, जमुई के संबंध में अपने पत्र संख्या- CN:SARDA-JH/313/2018 दिनांक-21.09.2018 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि जाँच दल के सुझाव के आलोक में शिकायत पेटी, साइन

बोर्ड तथा सूचना पट्ट का अधिष्ठापन केन्द्र पर कर दिया गया है । शौचालयों के साफ-सफाई हेतु दैनिक मजदूरी पर एक सफाई कर्मी की भी व्यवस्था कर दी गयी गयी है, साथ हीं केन्द्र पर 2 Oncet certified learning facilitator की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गयी है । स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि बिहार कौशल विकास मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार सभी Client machine में Internet की Connectivity आवश्यक नहीं है तथा बिहार कौशल विकास मिशन के दिशा निर्देश के अनुरूप सिर्फ Server में Internet के Connectivity की व्यवस्था की गयी है । स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि इस केन्द्र पर Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार Client machine में Internet की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । SDC, गिद्धौर KYP code 05020020 के प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी शिक्षा के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया ।

जिला पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इन दोनों केन्द्रों के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि अनुशंसित दण्ड समरूप मामलों में पूर्व में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा विभिन्न केन्द्रों के लिए अधिरोपित दण्ड के समानुपातिक नहीं है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा पूर्व में ऐसे प्रतिवेदित आरोपों के लिए कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों से स्पष्टीकरण पूछकर उनके उस बैच के Final Invoice से 30 से 40% की राशि की कटौती करने का आदेश निर्गत किया गया है, जबकि जिला पदाधिकारी, जमुई के द्वारा अपने पत्र संख्या-427 दिनांक-23.6.2018 के द्वारा BSDC, गिद्धौर के उस बैच के भुगतान की जाने वाली राशि से 50% की राशि कटौती करने की अनुशंसा की गयी है, जबकि उनके द्वारा SDC, गिद्धौर के पंजीकरण को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है, जो पूर्व में समरूप मामले में अधिरोपित दण्ड के समानुपातिक नहीं है ।

अतः समीक्षोपरान्त प्रतिवेदित आरोप तथा प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में BSDC, गिद्धौर, KYP code 05020012 तथा SDC, गिद्धौर KYP code 05020020 के माह जून बैच के Final Invoice से 40% की राशि की कटौती की जाती है । उन्हें यह भी चेतावनी निर्गत की जाती है कि भविष्य में उनके इन केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की कमी प्रतिवेदित होने की स्थिति में उनके उस केन्द्र के उक्त बैच की पूरी राशि की कटौती की जा सकती है, साथ हीं उनके केन्द्र को स्थायी रूप से बंद किये जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है ।

ह0/-
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-BSDM/SDM-18/2017 (खण्ड-1)- 1571 पटना,दिनांक-31/10/2018

प्रतिलिपि- (1) Social Action for Rural Development(BSDC, गिद्धौर KYP code 05020012) तथा शिक्षा(SDC, गिद्धौर KYP code 05020020) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) जिला पदाधिकारी, जमुई को उनके पत्र संख्या-427(जिला योजना कार्यालय) दिनांक-23.6.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(3)मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मिशन प्रबंधक, वित्त को आदेश दिया जाता है कि वे BSDC,गिद्धौर, KYP code 05020012 तथा SDC, गिद्धौर KYP code 05020020 के माह जून, 2018 बैच के Final Invoice से 40% की राशि कटौती करना सुनिश्चित करें ।

(4) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, जमुई/ श्री रत्नदीप सिंह, प्रबंधक,MIS & M&D को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना/कराना सुनिश्चित करें ।

3/11/18

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।